(354)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र. क्र.   R-2934-I/14

रामलखान पुत्र प्रहलाद त्यागी , उम्र 35 व
जाति ब्राहमण धंधा खेती , निवासी
ग्राम कनाथर तह. महगांव हाल मुकाम
नो रोड माता के मंदिर के पास वार्ड न. 8
मेहगाँव   -----   आवेदक

विरुद्ध

कुल्दीप , आशीष पुत्रगण सुरेश , अर्पणा
देवी बेवा सुरेश , उम्र क्रमश: 28 , 26 ,
व 59 समस्त जाति ब्राहमण , निवासी
ग्राम कनाथर , तह. महगाँव जिला भिण्ड

-- असल अनावेदकगण

परना बाई बेवा सूरत राम ,
प्यारेराम पुत्र सूरत राम
प्रहलाद प्रकाश छोटेलाल पुत्रगण वेजनाथ
समस्त जाति ब्राहमण , निवासी ग्राम
कनाथर तह. महगाँव जिला भिण्ड म.प्र.

-- तरतीवी अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 नये संशोधन अधि. 2011 विरुद्ध आदेश दिनांक 28.8.14 द्वारा पारित न्यायालय स.डी.ओ. महगांव प्र. क्र. 15/13-14 अपील माल , कुल्दीप विरुद्ध रामलखान के निर्णय से दुखी होकर अन्तर्गत म.प्र.भू.रा.सं. 1959

---

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2934-एक/2014 जिला भिण्ड

रामलखन विरूद्ध कुलदीप

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
11-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी महगाव जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 15/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 28-08-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर भिण्ड के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को कलेक्टर भिण्ड के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 11.3.19 (आर.के.जैन) सदस्य	